मद संख्या 20 कोर्ट नंबर 5 खंड II-बी

भारत का सर्वोच्च न्यायालय
कार्यवाही का रिकॉर्ड

आपराधिक अपील संख्या .135/2010

बुद्धदेव कर्मस्कर अपीलकर्ता

बनाम

पश्चिम बंगाल राज्य और ओआरएस। प्रतिवादी
(आईए सं. 80140/2020 सूचीबद्ध किए जाने वाले उचित आदेश/निर्देश)

दिनांक: 19-05-2022 इस अपील को आज सुनवाई के लिए बुलाया गया था।

पेहरा

HON'BLE MR. JUSTICE L. NAGESWARA RAO
HON'BLE MR. JUSTICE B.R. GAVAI
माननीय श्रीमान। न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना

Mr. Javant Bhushan. Sr. Adv. (A.C.)
एमएस। रोना जॉर्ज, एड. श्री।
स्टिकी राइस पुल, अभिभाषक।
Mr. Tushar Bhushan, Adv.
Mr. Amartya Bhushan, Adv.

श्री पीयूष के. रॉय, अभिभाषक। (ए.सी.)
श्रीमती काकली रॉय, एड. (एसी।)
एमएस। इंद्राणी डे, एड.

पार्टियों के लिए: जेल याचिका

Mr. Dharmendra Kumar Sinha, AOR
सुश्री जी इंदिरा, एओआर
श्री रोहित कुमार सिंह, एओआर

श्री अनिल कुमार, एड.
Mr. Umang Tripathi, Adv
Mr. Kamal Mohan Gupta, AOR

Mr. Radha Shyam Jena, AOR

Mr. S. Udava Kumar Sagar, AOR
श्री स्वीना नायर, एड.
श्री पी. मोहित राव, एड.

एमएस। ए सुभाषिनी, एओआर

Mr. Anil Shrivastav, AOR
Mr. Alok Kumar, Adv.

श्री। सुहान मुखर्जी, एड.

श्री राघेंट बसंत, एड.
Mr. Nikhil Parikshith, Adv.
Mr. Vishal Prasad. Adv.
श्री। अभिषेक मनचंदा, एड.
Mr. Sayandeep Pahari, Adv.
श्री। तन्मय सिन्हा, एड.
एमएस। पीएलआर चेम्बर्स एंड कं, एओआर

एमएस। अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी, एओआर

Ms. Diksha Rai, AOR
Mr. Ankit Agarwal, Adv.

श्री पी. वी. दिनेश, एओआर

Manpreet Singh Doabia, Adv.
Ms. Kiran Bhardwaj, AOR

श्रीमती। अस्वती एम.के., एओआर
Mr. Rameshwar Prasad Goyal, AOR
श्रीमती। स्थानिक शब्दार्थ, एओआर

श्री आनंद ग्रोवर, वरिष्ठ अधिवक्ता।
सुश्री सविता सिंह, एओआर
Ms. Tripti Tandon, Adv.

सुश्री अपर्णा भट, एओआर
सुश्री लिज़ मैथ्यू, एओआर
श्री गोपाल सिंह, एओआर
श्री अशोक कुमार सिंह, एओआर

श्री। सीके शशि, एओआर
श्री अब्दुल्ला नसीन वी.टी., अधिवक्ता
सुश्री मीना के.पी., एड.

Mr. Garvesh Kabra, AOR

डॉ। मोनिका गुसाईं, एड.
Ms. Ritu Rastogi, Adv.
Mr. Sanjay Kumar Visen, AOR

डॉ। मोनिका गुसाईं, एड.
श्री। एस. हरिनी, एड.

श्री एम. टी. जॉर्ज, एओआर

Mrs. Swarupama Chaturvedi, AOR
Mr. Balaji Srinivasan, AOR

श्री सौरभ त्रिवेदी, एओआर
श्री आशुतोष शर्मा, सलाहकार।

श्री डी. महेश बाबू, एओआर

डॉ. ए.एस. सुश्री जोसेफ अरस्तू
एस., एओआर नूपुर शर्मा, एड.
Mr. Shobhit Dwivedi, Adv.
Mr. Sanjeev Kumar Mahara, Adv.

एमएस। कॉर्पोरेट लॉ ग्रुप, एओआर
Mrs. Anil Katiyar, AOR
Mr. Sunil Fernandes, AOR

श्री प्रदीप मिश्रा, एड.
श्री सूरज सिंह, एड.

Mr. Anmol Rattan Sidhu, Adv.
श्री आर.के. राठौड़, एड.
श्री। प्रथम सेठी, एड.
एमएस। जसप्रीत गोगिया, एओआर

एमएस। आशा गोपालन नायर, एओआर
Mr. Anuvrat Sharma, AOR
श्री अनिल के. झा, एओआर

श्री जयंत के. सूद, एएसजी
Mr. Harish Pandey, Adv.
Ms. Sanskriti Pathak. Adv.
श्री बी.के. सतीजा, एड.

श्री जयंत के सूद, एएसजी
श्री हिमांशु सतीजा, अभिभाषक।
सुश्री सुनीता शर्मा, एड.
Mr. Sardar Kumar Singhania, Adv.
Mr. Sanjay kumar Tyagi, Adv.
Ms. Sakshi kakkar Adv.
श्री मोहम्मद अखिल, अभिभाषक।
श्री ए.के. शर्मा, एओआर

श्री जयंत के सूद, एएसजी
श्रीमती सुनीता शर्मा, एड.
श्रीमान श्री बी.के. सतीजा, एड.
Mr. Sanjay Kumar Tyagi, Adv.
Mr. Mohammad Akhil, Adv.
Mr. Om Prakash Shukla, Adv.

श्री जयंत के. सूद एलडी. एजी
श्री अनिल हुड्डा एड.
श्री हरीश पाण्डेय एड.
एमएस। संस्कृति पाठक, एड.
एमएस। मेघा कर्णवाल एड.
श्री। जितेंदर हुड्डा एड.
श्री। शफीक अहमद एड.

श्री अजय शर्मा एड.
Mr. Piyush Beriwal Adv.
श्री जी.एस. मैकर एओआर
Mr. Jayant K. Sud, ASG
Mr. Sanjay Kumar Tyagi, Adv.
सुश्री सुनीता शर्मा, एड.
Mr. Om Prakash Shukla, Adv.
एम. बी.के. सतीज़ा, एड.
Mr. Mohammad Akhil, Adv.
Mr. Himashu Satija, Adv.
Ms. Shakshi kakkar. Adv.
Mr. Sarad Kumar Singhania Adv.
श्री राजेश सिंह चौहान एड.
Mr. Apoorv Kurup Adv.
एमएस। प्रियदर्शिनी पिया एड.
श्री जी.एस. मेट, एड.
श्री अरविंद कुमार शर्मा, एओआर

श्री। Sanjay Kumar Tyagi, Adv.
Ms. सुनीता शर्मा, एड.
Mr. Om Prakash Shukla. Adv.
श्री। मोहम्मद अखिल, एड.
श्री। Himashu Satija, Adv.
Ms. Shakshi kakkar. Adv.
Mr. Apoorv Kurup, Adv.
श्री। Rajesh Singh Chauhan. Adv.
एमएस। प्रियदर्शनी प्रिया, एड.
श्री। Anil Hooda, Adv.
Mr. Saraswat Parihar Adv.
एमएस। मेघा कर्णवाल, एड.
श्री सरद क्र. सिंघानिया, एड.
श्री जी.एस. मेट, एओआर
Mr. Randeep Sachdeva, Adv.
Mr. Kartik Jasra, Adv.
Mr. Harish Nadda. Adv.
श्री अदित खुराना, अभिभाषक।
Mr. Digvijay Dam, Adv.

Mr. Jitender Hooda adv.
श्री। शफीक अहमद एड.
श्री अजय शर्मा एड.
श्री अरविंद कुमार शर्मा, एओआर

Mr. B. V. Balaram Das, AOR

श्री। इरशाद अहमद, एओआर
Mr. Jatinder Kumar Bhatia. AOR
श्री। अंकुर एस कुलकर्णी, एओआर

श्री शुवोदीप रॉय, एओआर
श्री। ईशान बोरठाकुर, एड.
श्री। कबीर शंकर बोस, एड.

एमएस। कैडेट अर्धेन्दुमौली प्रसाद, एओआर

श्री। योग इकारिया, एओआर
श्री एम. योगेश कन्ना, एओआर

Mr. Abhinav Mukerji, AOR
श्रीमती बिंदू शर्मा, एड.
Ms. Pratishtha Vij, Adv.
Mr. Akshay C Shrivastava, Adv.

श्री सचिन पाटिल, एओआर
श्री। राहुल चिटनिस, एड.
Mr. Aaditya A. Pande, Adv.
श्री जियो जोसेफ, अभिभाषक।
Ms. Shewtal Shepal, Adv.
श्री रिसवी मुहम्मद, अभिभाषक।

Mr. Aravindh S., AOR
श्री सी. अरविंद, एड.

एमएस। सी रुबावती, अभिभाषक।

श्री विनोद शर्मा, एओआर

Mr. Siddhesh Kotwal, Adv
Ms. Anu Upadhyay, Adv.
Ms. Manya Hasija, Adv.
श्री आकाश सिंह, एड.
सुश्री प्रीति सिंह, एड.
Mr. Nirnimesh Dube, AOR

डॉ। मनीष सिंघवी, श्री. अभिभाषक।
श्री। अर्पित प्रकाश, एड.
श्री संदीप कुमार झा, एओआर

श्री तन्मय अग्रवाल, एओआर
श्री विक चटर्जी, सलाहकार।
श्री उपेंद्र मिश्रा,
एड. श्री आशीष रंजन, एड.

Mr. Pukhrambam Ramesh Kumar, एओआर
Mr. Karun Sharma, Adv.
एमएस। अनुपमा नंगोम, एड. श्री।
वाहेंगबम इम्मानुएल मेइतेई, अभिभाषक।

Mr. Avijit Mani Tripathi, AOR
Mr. P.S. Negi, Adv.
Mr. S.R. Kochar, Adv.
Mr. Upendra Mishra, Adv.
Mr. K. V. Kharlyngdoh, Adv.
श्री टी.के. नायक, एड.

श्री एस.सी. वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता Gn1।
श्री सुमीर सोढ़ी, एओआर।
श्री अन्वित सीमांश, अभिभाषक।

श्री अभय प्रताप सिंह, एओआर
एमएस। ज्योति मेंदिरत्ता, एओआर

सुश्री अर्चना पाठक दवे, एडवोकेट।
श्रीमती। दीपानविता प्रियंका, एओआर

Ms. Anindita Pujari, AOR
Mr. Siddhartha Srivastava, Adv.
श्री आज़ाद बंसाला, एडवोकेट।
Mr. Prakriti Rastogi, Adv.
Mr. Mohit Kaushik,Adv.

श्री तपेश कुमार सिंह, एएजी
श्री कुमार अनुराग सिंह, अति. स्थायी अधिवक्ता
सुश्री तूलिका मुखर्जी, एओआर
श्री श्वेतांक सिंह, एड.
Ms. Aastha Shrestha, Adv.
श्री। पी.एस. सुधीर,
एडवोकेट श्री. बीनू शर्मा, एड.

Ms. Astha Sharma, AOR

Mr. Zoheb Hossain, AOR
Mr. Vivek Gurnani, Adv.
श्री शोएब अल्वी, एडवोकेट।

Mr. Raj Bahadur Yadav, AOR

Mr. Shubhranshu Padhi, AOR
Mr. Ashish Yadav, Adv.
Mr. Rakshit Jain, Adv.
श्री विशाल बंसल, एड.

श्रीमती के. एनाटोली सेमा, एओआर
श्री अमित कुमार सिंह, सलाहकार।
सुश्री चूब्लेमला चांग, अभिभाषक।

श्री पी. वी. योगेश्वरन,
एएजी श्री सनी चौधरी, एओआर

श्री सतीश पाण्डेय, एओआर
श्री। अकबर अली, एड.
श्री। मनमोहन शर्मा, एड.
Mr. Harendra Kumar Sharma,Adv.

श्री राघवेंद्र कुमार, एड.
Mr. Anand Kr. Dubey, Adv.
Mr. Nishant Verma, Adv.

Mr. Raiiv Kumar Sinha, Adv.
श्री। सिमंत कुमार, एड.
Ms. Railakshmi Singh, Adv.
श्री सुनील सरावगी, एड.
श्री वरुण सिंह, एड
श्री नरेंद्र कुमार, एओआर

Mr. Mahfooz A. Nazki, AOR
Mr. Polanki Gowtham, Adv.
Mr. Shaik Mohamad Haneef, Adv.
Mr. T. Vijaya Bhaskar Reddy, Adv.
एमएस। राजेश्वरी मुखर्जी, एड.
श्री के.वी. गिरीश चौधरी, एड.

वकील की सुनवाई के बाद अदालत ने निम्नलिखित किया
गण

मेनका गांधी बनाम भारत संघ[1] के बाद से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में इस न्यायालय द्वारा दी गई पूरी क्षमता के कारण भारत में मानवाधिकार न्यायशास्त्र ने एक संवैधानिक स्थिति और व्यापकता हासिल कर ली है। इस न्यायालय द्वारा मानवीय शालीनता और गरिमा के लिए [illegible] सम्मान को अनुच्छेद 21 में स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है। अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के दायरे की व्याख्या करते हुए, इस न्यायालय ने फ्रांसिस कोरली मुलिन बनाम प्रशासक, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली[2] में जीने के अधिकार को शामिल करने के लिए अंग या संकाय के संरक्षण से परे जीवन के अधिकार का अर्थ बढ़ाया मानवीय गरिमा और वह सब जो इसके साथ जाता है, अर्थात्, जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं जैसे पर्याप्त पोषण, कपड़े और आश्रय और साथ ही ऐसे कार्यों और गतिविधियों को करने का अधिकार जो न्यूनतम अभिव्यक्ति का गठन करते हैं

1 (1978) 1 एससीसी 248
2 (1981) 1 एससीसी 608

मानव-स्व का। कहने की जरूरत नहीं है कि मानव शालीनता और गरिमा की यह बुनियादी सुरक्षा यौनकर्मियों और उनके बच्चों तक फैली हुई है, जो अपने काम से जुड़े सामाजिक कलंक का खामियाजा भुगतते हुए, समाज के हाशिये पर चले जाते हैं, सम्मान के साथ जीने के अपने अधिकार से वंचित हो जाते हैं। और अपने बच्चों को समान प्रदान करने के अवसर।

इस न्यायालय द्वारा 19.07.2011 को पारित एक आदेश के अनुसार, श्री प्रदीप घोष के पैनल के अध्यक्ष के रूप में एक पैनल का गठन किया गया था, श्री जयंत भूषण, वरिष्ठ वकील, उषा बहुउद्देशीय सहकारी समिति अपने दरबार के माध्यम से महिला समन्व समिति अपने अध्यक्ष/सचिव के माध्यम से और रोशनी सुश्री साइमा हसन के माध्यम से।

पैनल के लिए किए गए संदर्भ की शर्तें हैं:

(1) तस्करी की रोकथाम,

(2) इच्छा रखने वाले यौनकर्मियों का पुनर्वास सेक्स वर्क छोड़ दो, और

(3) सेक्स वर्कर्स के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ जो सम्मान के साथ सेक्स वर्कर्स के रूप में काम करना जारी रखना चाहती हैं।

एक आदेश द्वारा डी.टी. 26.07.2012, इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के प्रावधानों के अनुसार सम्मान के साथ जीने के लिए यौनकर्मियों के लिए अनुकूल शर्तों के संदर्भ में तीसरी अवधि को संशोधित किया।

सभी संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत चर्चा एक करने के बाद, पैनल ने संदर्भ की शर्तों व्यापक रिपोर्ट प्रस्तुत की। वर्ष 2016 में जब यह मामला सूचीबद्ध हुआ था, तब यह न्यायालय था

सूचित किया कि पैनल द्वारा की गई सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा विचार किया गया था और सम्मिलित पैनल द्वारा मसौदा को गया कानून की पर किया था। बाद, समय-समय किए गए स्थगन भारत संघ द्वारा इस आधार पर लिए गए कि विधेयक विचाराधीन है। जैसा कि वर्ष 2016 में द्वारा सिफारिशें किए जाने के बावजूद आज तक कानून नहीं बनाया गया है और उक्त सिफारिशों को लागू किया जाना है, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, निम्नलिखित जारी करने के लिए दिशा-निर्देश जो भारत संघ द्वारा एक कानून बनाए जाने तक क्षेत्र में रहेंगे। इस न्यायालय के कई निर्णयों में, इस शक्ति को मान्यता दी गई है और यदि आवश्यक हो, तो खालीपन को भरने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करके तब तक प्रयोग किया जाता है जब तक कि विधायिका अंतराल को भरने के लिए कदम नहीं उठाती है या कार्यपालिका अपनी भूमिका का निर्वहन करती है।

आज जो निर्देश जारी किए गए हैं वे केवल यौन कर्मियों के पुनर्वास उपायों और अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित हैं। पैनल ने संदर्भ की तीसरी अवधि के संबंध में निम्नलिखित शब्दों में सिफारिश की है:

(I) यौनकर्मी कानून के समान संरक्षण के हकदार हैं। आपराधिक कानून 'आयु' और 'सहमति' के आधार पर सभी मामलों में समान रूप से लागू होना चाहिए। जब यह स्पष्ट हो कि यौनकर्मी वयस्क है और सहमति से भाग ले रहा है,

पुलिस को हस्तक्षेप करने या कोई आपराधिक कार्रवाई करने से बचना चाहिए।

ऐसी चिंताएँ रही हैं कि पुलिस यौनकर्मियों को दूसरों से अलग देखती है। जब एक यौनकर्मी आपराधिक/यौन/किसी अन्य प्रकार के अपराध की शिकायत करती है, तो पुलिस को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।

ii) कोई भी यौनकर्मी जो यौन हमले का शिकार है, उसे यौन हमले के उत्तरजीवी को उपलब्ध सभी सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें तत्काल चिकित्सा सहायता शामिल है, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 357सी के अनुसार "दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल के साथ पठित" : हिंसा के लिए चिकित्सा-कानूनी देखभाल", स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (मार्च, 2014)।

iii) जब भी किसी वेश्यालय पर छापा मारा जाता है, चूंकि स्वैच्छिक यौन कार्य अवैध नहीं है और केवल वेश्यालय चलाना गैरकानूनी है, संबंधित यौनकर्मियों को गिरफ्तार या दंडित या परेशान या पीड़ित नहीं किया जाना चाहिए।

iv) राज्य सरकारों को सभी आईटीपीए सुरक्षात्मक गृहों का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया जा सकता है ताकि उनकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में ली गई वयस्क महिलाओं के मामलों की समीक्षा की जा सके और समयबद्ध तरीके से रिहाई के लिए कार्रवाई की जा सके।

v) यह देखा गया है कि रवैया।

सेक्स वर्कर्स के लिए पुलिस का रवैया अक्सर क्रूर और हिंसक होता है। यह ऐसा है मानो वे एक ऐसा वर्ग हैं जिनके अधिकारों को मान्यता नहीं है। पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को यौनकर्मियों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, जो सभी नागरिकों के लिए संविधान में गारंटीकृत सभी बुनियादी मानवाधिकारों और अन्य अधिकारों का भी आनंद लेते हैं। पुलिस को सभी यौनकर्मियों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उन्हें मौखिक और शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, उन्हें हिंसा के अधीन नहीं करना चाहिए या उन्हें किसी भी यौन गतिविधि के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए।

vi) प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह मीडिया के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करे कि गिरफ्तारी, छापेमारी और बचाव अभियान के दौरान यौनकर्मियों की पहचान उजागर न करें, चाहे वह पीड़ितों या अभियुक्तों के रूप में हो और किसी भी तरह का प्रकाशन या प्रसारण न करें। ऐसी तस्वीरें जिनके परिणामस्वरूप ऐसी पहचान का खुलासा होगा। इसके अलावा, नई शुरू की गई धारा 354सी, आईपीसी, जो ताक-झांक को अपराधी बनाती अपराध, है, को मीडिया के खिलाफ सख्ती से लागू इलेक्ट्रॉनिक किया जाना चाहिए, ताकि बचाव अभियान की आड़ में यौनकर्मियों की उनके ग्राहकों के साथ तस्वीरें प्रसारित करने पर रोक लगाई जा सके।

vii) उपाय जो यौनकर्मी अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए नियोजित करते हैं (जैसे, कंडोम का उपयोग,

आदि) को न तो अपराध माना जाना चाहिए और न ही अपराध किए जाने के साक्ष्य के रूप में देखा जाना चाहिए।

viii) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में यौनकर्मियों और/या उनके प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए, जिसमें यौनकर्मियों के लिए किसी भी नीति या कार्यक्रम की योजना बनाना, डिजाइन करना और लागू करना या संबंधित कानूनों में कोई बदलाव/सुधार तैयार करना शामिल है। सेक्स वर्क करने के लिए। यह या तो उन्हें निर्णय लेने वाले प्राधिकरणों/पैनल में शामिल करके और/या उन्हें प्रभावित करने वाले किसी निर्णय पर उनके विचार लेकर किया जा सकता है।

ix) केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के माध्यम से यौनकर्मियों को उनके अधिकारों के साथ-साथ यौन कार्य की वैधता, अधिकारों के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित करनी चाहिए। और पुलिस के दायित्व और कानून के तहत क्या अनुमति/निषिद्ध है। यौनकर्मियों को यह भी सूचित किया जा सकता है कि वे अपने अधिकारों को लागू करने और तस्करों या पुलिस के हाथों अनावश्यक उत्पीड़न को रोकने के लिए न्यायिक प्रणाली तक कैसे पहुंच सकते हैं।

x) जैसा कि 22.03.2012 की छठी अंतरिम रिपोर्ट में पहले ही सिफारिश की जा चुकी है, सेक्स वर्कर के किसी भी बच्चे को मां से अलग नहीं किया जाना चाहिए

केवल इस आधार पर कि वह देह व्यापार में है। इसके अलावा, यदि कोई अवयस्क वेश्यालय में या यौनकर्मियों के साथ रहता हुआ पाया जाता है, तो यह नहीं माना जाना चाहिए कि उसकी तस्करी की गई है। यदि सेक्स दावा करता है कि वह उसका बेटा/बेटी है, तो यह निर्धारित करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है कि क्या दावा सही है और यदि ऐसा है, तो नाबालिग को जबरन अलग नहीं किया जाना चाहिए।'

हमने श्री जयंत सूद, विद्वान एएसजी को सुना, जिन्होंने कहा कि भारत सरकार को पैरा 2,4,5,6,7 और 9 को छोड़कर पैनल द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में कुछ आपत्तियां हैं। राज्य सरकारें / यूटीएस को निर्देशित किया जाता है कि वे पैरा 2,4,5,6,7,9 में की गई सिफारिशों के कड़ाई से अनुपालन में कार्य करें, ऊपर उल्लिखित पैनल द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन के अलावा, अनैतिक व्यापार के तहत सक्षम अधिकारी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 को अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया जाता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि पेशे के बावजूद, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक सम्मानित जीवन का अधिकार है। इस देश में सभी व्यक्तियों को दी जाने वाली संवैधानिक सुरक्षा को उन अधिकारियों द्वारा ध्यान में रखा जाएगा, जिनका अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत कर्तव्य है। पैनल द्वारा की गई अन्य सिफारिशों को गर्मी की छुट्टी के बाद लिया जाएगा। .

इस मामले को 27.07.2022 को सूचीबद्ध करें।

इस बीच, भारत संघ को आज से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पैनल द्वारा की गई सिफारिशों पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।

विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आनंद ग्रोवर ने इस न्यायालय के संज्ञान में लाया कि यौनकर्मियों को आधार कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं क्योंकि वे अपने निवास का प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। हमने यूआईडीएआई को नोटिस जारी किया था और यौनकर्मियों के लिए निवास के प्रमाण की आवश्यकता को समाप्त करने के संबंध में सुझाव मांगे थे, ताकि वे आधार कार्ड जारी करके पहचान प्राप्त कर सकें। यूआईडीएआई द्वारा दायर हलफनामे में, यह प्रस्तावित किया गया था कि यौनकर्मी जो नाको की सूची में हैं और जो आधार कार्ड के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन निवास का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उन्हें आधार कार्ड जारी किए जा सकते हैं, बशर्ते कि एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा 'प्रोफार्मा प्रमाण पत्र' जमा किया जाए। नाको या राज्य स्वास्थ्य विभाग आवेदक के विवरण को प्रमाणित करता है। याचिका का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने यूआईडीएआई द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए हैं:

3.1 राज्य स्वास्थ्य विभाग का राजपत्रित अधिकारी, जो एक सेक्स वर्कर के लिए प्रोफार्मा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत है, जो आधार कार्ड के लिए आवेदन करता है, लेकिन निवास का प्रमाण प्रस्तुत करने में असमर्थ है, को विशिष्ट रूप से नामित किया जाना चाहिए: "परियोजना निदेशक

स्टेट एड्स कोट्रोल सोसाइटी, या उसका/उसका नामिती।"

3.2 नाको की ओर से आधार कार्ड के लिए आवेदन करने के इच्छुक यौनकर्मियों के लिए 'प्रोफार्मा सर्टिफिकेट' जमा करने के लिए अधिकृत राजपत्रित अधिकारियों के नाम और पदनाम को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। इसकी वेबसाइट।

3.3 नाको और राज्य एड्स नियंत्रण समितियों को उन यौनकर्मियों के लिए प्रक्रिया का प्रचार करना चाहिए जो आधार कार्ड के लिए आवेदन करना चाहते हैं लेकिन जो अपनी वेबसाइटों के साथ-साथ लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रमों के तहत आउटरीच के माध्यम से निवास का प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं।

3.4 यूआईडीएआई द्वारा दिनांक 09.02.2022 के अपने अतिरिक्त हलफनामे मे जमा किया गया नमूना 'प्रोफार्मा सर्टिफिकेट' दिनांक 10.01.2022 के आदेश के अनुसार कथित शपथ पत्र के पृष्ठ 5 और 6 पर "अनुलग्नक आर-1' के रूप में आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है। यूआईडीएआई, नाको और राज्य एड्स नियंत्रण समितियों की वेबसाइटें।

3.5। आधार नामांकन संख्या में किसी भी कोड के असाइनमेंट सहित प्रक्रिया में गोपनीयता का कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जो कि यौनकर्मी के रूप में कार्ड के आवेदक / धारक की पहचान करता है।

3.6 यूआईडीएआई द्वारा अपने 09.02.2011 के अतिरिक्त हलफनामे में प्रस्तावित प्रक्रिया नाको सूची में सेक्स वर्कर्स तक सीमित नहीं हो सकती है लेकिन

राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण या यह राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा सत्यापन के बाद सीबीओएस द्वारा पहचाने गए लोगों विस्तारित है। दिनांक 10.01.2022 और के लिए भी 28.02.2022 के आदेशों के अनुसार, राज्य सरकारों को माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, उन यौनकर्मियों को सूखा राशन समर्थन और राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र तक पहुंच प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं, जो नाको की सूची में नहीं है।

यूआईडीएआई ने सुझावों की जांच की है और स्वीकार किया है कि प्रस्तावित प्रक्रिया का पालन किया जा सकता है।

पूर्वोक्त के मद्देनजर, सेक्स वर्कर्स को आधार कार्ड एक प्रोफार्मा सर्टिफिकेट के आधार पर जारी किया जाएगा, जो यूआईडीएआई द्वारा जारी किया जाता है और आधार नामांकन फॉर्म के साथ नाको में राजपत्रित अधिकारी या राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी के परियोजना निदेशक द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। /आवेदन पत्र। आधार ... संलग्न में भी कोड के असाइनमेंट सहित प्रक्रिया में गोपनीयता का कोई उल्लंघन नहीं होगा, जो कार्ड धारक को सेक्स वर्कर के रूप में पहचानता है।

हम यौनकर्मियों को राहत प्रदान करने में यूआईडीएआई के विद्वान वकील श्री जोहेब हुसैन के सहयोग की सराहना करते हैं, जिनकी समाज में कुछ पहचान होगी।

(बी पार्वती)
कोर्ट मास्टर

(आनंद प्रकाश)
सहायक कुलसचिव